भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/ विबाविवि /2024-25/127
विबाविवि.एमआईओडी.सं. 12/11.04.051/2024-25 07 फरवरी, 2025

सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी

महोदया/महोदय,

एनडीएस-ओएम हेतु सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच

कृपया खुदरा निवेशकों के कारोबार की सुविधा हेतु नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 07 फरवरी, 2025 के 204-25 हेतु द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 2 का संदर्भ लें। दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें रिज़र्व बैंक ने एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर पहुँच हेतु मानदंड निर्दिष्ट किए हैं।

2. इस संबंध में एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंडों में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित पहुँच मानदंडों को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025 में समेकित किया गया है और दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 का अधिक्रमण करते हुए जारी किया गया है।

3. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की 45यू के साथ पठित धारा 45डबल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

4. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं.विबाविवि.एमआईओडी.13/11.01.051/2024-25, दिनांक 07 फरवरी, 2025
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45यू के साथ पठित की धारा 45डबल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाएगा) एतद्द्वारा भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार में भाग लेने या कारोबार करने के लिए पात्र सभी व्यक्तियों के लिए, दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित निदेश जारी करता है।

1. संक्षिप्त नाम, सीमा, प्रारंभ और प्रयोज्यता।

ए) इन निदेशों को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

बी) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

ए) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान" का अर्थ होगा- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी);

बी) "बैंक" का अर्थ होगा- बैंकिंग कंपनी (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित है या "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक", "संबंधित नया बैंक" या "भारतीय स्टेट बैंक" जैसा कि क्रमशः धारा 5 के खंड (जेए), (डीए) और (एनसी) में परिभाषित है, या "सहकारी बैंक" जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित है;

सी) "नामित निपटान बैंक (डीएसबी)" का अर्थ होगा- क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक बैंक, जो अपने प्रतिभूति निपटान खंड के सदस्यों के निधि दायित्वों के निपटान के लिए जो रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाता नहीं रख रहे हैं;

डी) "सीधी पहुँच" का अर्थ एनडीएस-ओएम तक पहुँच होगा जिसमें एक इकाई जो लेनदेन के लिए एक पार्टी है, सीधे प्लेटफॉर्म पर/को लेनदेन निष्पादित/रिपोर्ट करती है और इस तरह के लेनदेन अपने स्वयं के सहायक जनरल लेजर (एसजीएल) खाते में निपटाए जाते हैं;

ई) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ईटीपी)" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित 05 अक्टूबर 2018 के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 की धारा 2(1)(iii) में दिया गया है;

एफ़) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(एफ) में दिया गया है;

जी) "अप्रत्यक्ष पहुँच" का अर्थ एनडीएस-ओएम तक पहुँच होगा जहां एक इकाई किसी अन्य इकाई के माध्यम से अपने लेनदेन करती है जिसकी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच है और जो इस तरह के लेनदेन के निपटान के लिए जिम्मेदारी लेती है;

एच) "नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)" का अर्थ होगा- सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए 05 अक्टूबर 2018 के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत ईटीपी;

आई) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 45-आई(एफ़) में इसे सौंपा गया है।

जे) "स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट" का तात्पर्य ऐसी पद्धति से होगा जिसके माध्यम से कोई स्टॉक ब्रोकर अपने उन व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों को एनडीएस-ओएम तक पहुँच प्रदान करता है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत डिपोजिटरियों में डीमैट खाते बनाये रखते हैं।

प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन निदेशों में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के तहत दिया गया गया है।

खंड – I : पहुँच

3. समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार/राज्य सरकारों/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लागू नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति/संस्था या तो सीधी पहुँच के माध्यम से या अप्रत्यक्ष पहुँच के माध्यम से या इन निदेशों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट के माध्यम से एनडीएस-ओएम पर पहुँच के लिए पात्र होगी।

खंड – II : एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच

4. पात्र संस्था

निम्नलिखित संस्थाएं एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए पात्र होंगी बशर्ते वे इन निदेशों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा करें:

ए) बैंक;

बी) स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर;

सी) आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां;

डी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान;

ई) म्यूचुअल फंड;

एफ़) भविष्य निधि;

जी) पेंशन फंड;

एच) बीमा कंपनियां;
आई) विनियमित बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई), सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी निपटान गारंटी निधि का निवेश करने के लिए, जैसा कि रिज़र्व बैंक, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो वह निर्धारित कर सकता है, विशेष रूप से अनुमति दे सकता है,; और
जे) कोई अन्य संस्था जिसे रिज़र्व बैंक विशेष रूप से अनुमति दे सकता है।

5. एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं

एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाएं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

ए) रिज़र्व बैंक के साथ एसजीएल खाता;
बी) रिज़र्व बैंक या नामित निपटान बैंक के साथ चालू खाता; और
सी) क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के प्रतिभूति निपटान खंड की सदस्यता।

6. एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने के लिए आवेदन

इन निदेशों के पैराग्राफ (4) के अनुसार एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए पात्र और इन निदेशों के पैराग्राफ (5) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाएं, एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को अनुबंध में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकती हैं। ऐसी संस्थाएं, वैकल्पिक रूप से, भुगतान प्रणालियों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित अभिगम मानदंड (मास्टर निदेश डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1846/04.04.009/2016-17, दिनांक 17 जनवरी, 2017) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने की मांग कर सकती हैं।

7. एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान करना

ए) रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, उसमें निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन, एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान कर सकता है।
बी) पहुँच प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक
i. कोई भी अतिरिक्त जानकारी या आवेदक से कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है, जो उसकी राय में प्रासंगिक है और आवेदक ऐसी अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा; और
ii. विनियामकों या एजेंसियों या किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अतिरिक्त जानकारी/सिफारिश प्राप्त कर सकता है, जो उसकी राय में आवेदन के निपटान के लिए प्रासंगिक है।
सी) किसी संस्था को प्रदान की गई एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच हस्तांतरणीय नहीं है और यदि इकाई को इन निदेशों के प्रावधानों या किसी अन्य नियम या विनियमों या पहुँच की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो रिज़र्व बैंक अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।

डी) रिज़र्व बैंक किसी संस्था को जारी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच को, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, निलंबित/समाप्त कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि:

i. संस्था एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए पात्र नहीं रह गई है; या

ii. संस्था ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी वैधानिक प्रावधान या किसी नियम या विनियम या निदेश या आदेश या अनुदेश का उल्लंघन किया है; या

iii. संस्था ने समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (बाजार दुरुपयोग रोकथाम) निदेश, 2019, दिनांक 15 मार्च 2019 के तहत परिभाषित बाजार दुरुपयोग किया है; या

iv. संस्था ने पहुँच प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन किया है; या

v. पहुँच का जारी रहना सार्वजनिक हित या देश की वित्तीय प्रणाली के लिए हानिकारक है।

ई) एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान करने या अस्वीकार करने या सीधी पहुँच को समाप्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

खंड – III : एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुँच

8. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति/संस्था एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त कर सकती है यदि:

ए) यह इन निदेशों के पैराग्राफ 4 के अनुसार एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए पात्र संस्था नहीं है; या

बी) यह इन निदेशों के पैराग्राफ 5 के अनुसार एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है; या

सी) इसे एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान नहीं की जाती है।

9. एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुँच एक ऐसी संस्था के माध्यम से होगी जिसकी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच है, और जो अप्रत्यक्ष पहुँच चाहने वाली संस्था द्वारा किए गए लेनदेन को निपटाने के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमत है।

10. कोई भी संस्था जिसे समय-समय पर यथासंशोधित एसजीएल खाता: पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश (अधिसूचना संख्या आईडीएमडी.सीडीडी.एस788/11.22.001/2021-22, दिनांक 22 सितंबर, 2021) के संदर्भ में एसजीएल और एक घटक खाता, दोनों बनाए रखने की अनुमति है, अपने विवेक से, सीधी पहुँच के बजाय एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुँच का विकल्प चुन सकती है।

खंड – IV: स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट

11. पात्र निवेशक: कोई भी व्यक्तिगत निवेशक जो सेबी-पंजीकृत डिपॉजिटरी में डीमैट खाता बनाए रखता है।

12. पात्र स्टॉक ब्रोकर

ए) सेबी में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, सेबी के सामान्य / विशिष्ट अनुमोदन के अधीन; और

बी) स्टॉक ब्रोकर का किसी संस्था के साथ एक समझौता है जो सीसीआईएल के प्रतिभूति निपटान खंड का सदस्य (इसके बाद "समाशोधन सदस्य") है जिसके अनुसार समाशोधन सदस्य स्टॉक ब्रोकर के घटकों/ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन के निपटान के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमत है।

13. एनडीएस-ओएम के लिए सेबी में पंजीकृत डिपॉजिटरी में डीमैट खाते बनाए रखने वाले अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करने के इच्छुक पात्र स्टॉक ब्रोकर, अनुबंध-2 में दिए गए प्रारूप में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को आवेदन कर सकते हैं।

14. रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, आवेदक को अपने घटकों/ग्राहकों को एनडीएस-ओएम तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दे सकता है, जो उसमें निर्धारित किसी नियम और शर्तों के अधीन होगी।

15. ऐसी अनुमति प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक, *अन्य बातों के साथ-साथ,*

ए) कोई भी अतिरिक्त जानकारी या आवेदक से कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है, जो उसकी राय में प्रासंगिक है और आवेदक ऐसी अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा; और

बी) अन्य विनियामकों या एजेंसियों या किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अतिरिक्त जानकारी/सिफारिश प्राप्त कर सकता है, जो उसकी राय में आवेदन के निपटान के लिए प्रासंगिक है।

16. स्टॉक ब्रोकर को दिया गया अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है। यदि किसी संस्था को इन निदेशों के प्रावधानों या सुविधा का उपयोग करने के लिए किन्हीं अन्य नियमों या विनियमों या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो रिज़र्व बैंक ऐसे कदम उठा सकता है जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त शर्तें लगाना शामिल है।

17. रिज़र्व बैंक, स्टॉक ब्रोकर को दिए गए अनुमोदन को, सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, निलंबित/समाप्त कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि:

ए) संस्था एनडीएस-ओएम तक अपने घटकों/ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए पात्र नहीं रह गई है; या

बी) संस्था ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी वैधानिक प्रावधान या किसी नियम या विनियम या निदेश या आदेश या अनुदेश का उल्लंघन किया है; या

सी) संस्था ने समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (बाजार दुरुपयोग रोकथाम) निदेश, 2019, दिनांक 15 मार्च 2019 के अंतर्गत परिभाषित बाजार दुरुपयोग किया है; या

डी) संस्था ने स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा को मंजूरी देते समय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन किया है; या

ई) पहुंच का जारी रहना सार्वजनिक हित या देश की वित्तीय प्रणाली के लिए हानिकारक है।

18. अपने घटकों/ग्राहकों को एनडीएस-ओएम तक पहुंच प्रदान करते समय, स्टॉक ब्रोकर इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी विनियामक अनुदेशों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ऐसी सुविधा का प्रावधान इस संबंध में सीसीआईएल द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

19. बाजार अवसंरचना की मजबूती सुनिश्चित करने और वित्तीय बाजारों का विकास या जनहित में या सार्वजनिक हित में या देश की वित्तीय प्रणाली के हित के लिए विनियमित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, स्टॉक ब्रोकर को सुविधा का अनुमोदन/अस्वीकृत/समाप्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक का विवेकाधिकार होगा। स्टॉक ब्रोकर के आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करने या समाप्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

डिम्पल भांडिया

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध – 1

आरबीआई के एनडीएस-ओएम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निष्पादन से पहले स्टाम्प ड्यूटी के साथ फ्रैंक किया जाए। (लागू राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार मुहर लगाई जाए)

मुख्य महाप्रबंधक,
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई – 400 001

महोदया/प्रिय महोदय,

नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता के लिए अनुरोध

हम एतद्द्वारा ऑर्डर मैचिंग और रिपोर्ट किए गए सेगमेंट, दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता चाहते हैं।

2. अपेक्षित विवरण, जैसा कि अपेक्षित है, निम्नानुसार हैं:

ए. आवेदक का नाम				
बी. आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) सदस्य आईडी				
सी. सीसीआईएल सदस्य आईडी				
डी. मुद्रा बाजार/निश्चित आय परिचालनों में प्रमुख पदाधिकारियों का संपर्क विवरण				
	ट्रेजरी प्रमुख	डीलिंग प्रमुख / मुख्य डीलर	ट्रेजरी ऑपरेशंस/ बैक ऑफिस के प्रमुख	मिड ऑफिस/जोखिम प्रबंधन के प्रमुख
नाम				
पदनाम				
डाक पता				
टेलीफोन नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलीफ़ैक्स नंबर				
ई-मेल आईडी				
ई. प्रमुख आईटी पदाधिकारियों का संपर्क विवरण				
	आईटी प्रमुख / सिस्टम-इन-चार्ज		आईटी विभाग में एनडीएस परियोजना प्रभारी	

नाम		
पदनाम		
डाक पता		
टेलीफोन नंबर		
मोबाइल नंबर		
टेलीफ़ैक्स नंबर		
ई-मेल आईडी		
एफ़. क्या INFINET कनेक्शन लिया गया है (हाँ/नहीं)?		
जी. खाता विवरण		

चालू खाता विवरण		एसजीएल खाता विवरण	
बैंक का नाम (आरबीआई/नामित निपटान बैंक)	खाता सं.	स्वामित्व एसजीएल खाता सं.	घटक एसजीएल खाता सं.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस आवेदन प्रपत्र के अनुमोदन के बाद प्रयोक्ता अनुरोध टेम्पलेट भेजा जाएगा।

4. हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम अपने व्यावसायिक परिसर में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना अपनी लागत पर स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-ओएम की कनेक्टिविटी और सुचारू संचालन को सुगम बनाया जा सके।

5. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के किसी भी भाग को अन्यत्र स्थानांतरित/शिफ्ट/अंतरण/प्रतिलिपि/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम अपनी लागत पर उपरोक्त उपकरणों को संशोधित, उन्नत या बदलने का वचन देते हैं, जब भी ऐसा करने की सूचना दी जाती है। हम यह भी वचन देते हैं कि हम आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना साफ्टवेयर/हार्डवेयर में कोई संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन नहीं करेंगे;

6. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि –

(ए) हम सीसीआईएल के सक्रिय सदस्य हैं;

(बी) हम जानते हैं कि एनडीएस-ओएम में हमारी सदस्यता हमारी आरबीआई सीबीएस (*ई-कुबेर*) सदस्यता के साथ को-टर्मिनस होगी;

(सी) सभी विनियामकीय आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है और गैर-अनुपालन के लिए विनियामकों से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है;

(डी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है;

(ई) हम पर किसी भी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अयोग्यता के आदेश या इसी तरह के प्रभाव के आदेश नहीं लगाए गए हैं और न ही हमें सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में किसी भी लेनदेन से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(एफ़) एनडीएस-ओएम में सदस्यता के लिए यह अनुरोध करने से पहले हमारे आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

(जी) हमने एनडीएस-ओएम से संबंधित "मार्गदर्शक सिद्धांतों" को पढ़ा और समझा है। हम एनडीएस-ओएम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, नियमों और शर्तों का पालन करेंगे

और समय-समय पर यथासंशोधित और लागू ऐसे सभी नियम, विनियम, सिद्धांत, नियम और शर्तें हम पर बाध्यकारी होंगी;

(एच) हम एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और एनडीएस-ओएम तक पहुंच प्रदान करते समय हमें आवंटित संबंधित एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या को आरबीआई को हमारे सभी पत्राचार में शामिल करेंगे;

(आई) भारतीय रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी तरह से हमारे एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और/या एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या के अनधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(जे) एनडीएस-ओएम, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में हमें या हमारे किसी भी पदाधिकारी को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा;

(के) हम जानते हैं कि हम अपनी ओर से और साथ ही अपने घटकों की ओर से एनडीएस-ओएम पर ट्रेडों (जैसा लागू हो) के ऑर्डर/रिपोर्ट कर सकते हैं और एनडीएस-ओएम में दर्ज किए गए ऑर्डर के लिए हम अपनी ओर से या अपने घटकों की ओर से एनडीएस-ओएम पर निष्पादित सभी ट्रेडों के लिए उत्तरदायी होंगे;

(एल) जहां तक संघटक ऑर्डर/ट्रेड का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित अनुपालनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(एम) हमारे संगठन में स्पष्ट और व्यापक पहुँच नियंत्रण नीतियां, प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं और इन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है और इसके सख्त अनुपालन के लिए इसकी लगातार निगरानी की जा रही है;

(एन) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों)/संस्था/संस्थाओं को निम्नलिखित की अनुमति नहीं देंगे –

I. आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना;

II. आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन के अलावा किसी अन्य उपकरण पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना

III. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना, उसमें परिवर्तन करना, संशोधित करना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को उपलब्ध कराना

IV. आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी भी अन्य तरीके से सॉफ्टवेयर का उपयोग करना

V. अनधिकृत स्थान से वर्कस्टेशन स्थापित या संचालित करना

(ओ) कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होंगे और इसके किसी भी अनधिकृत उपयोग को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

(पी) हम सहमत हैं कि बैंक के पास सदस्यों के कोट्स/ट्रेडों से संबंधित ऐसी जानकारी को सरकार, अन्य एजेंसियां और प्रेस और मीडिया से साझा करने/प्रकट करने या प्रसारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में या सीधे बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में या क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बैंक द्वारा लेनदेन या रिपोर्ट की गई सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य सभी लिखतों से संबंधित है।

(क्यू) सदस्य के कार्यालय परिसर में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बैंक को सदस्य के एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले सभी कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा।

(आर) बैंक एनडीएस-ओएम के सदस्य के रूप में सदस्य की निरंतरता की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है, यदि बैंक की राय में किसी ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटना की संभावना है जहां सदस्य ने बैंक के हितों को प्रत्यक्ष या किसी अन्य तरीके से प्रभावित किया है या प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और सदस्य पर बाध्यकारी होगा।

(एस) हम सहमत हैं कि यदि हम किसी भी समामेलन, विलगाव (डिमर्जर) या किसी उपक्रम के अधिग्रहण सहित किसी कॉर्पोरेट पुनर्गठन से गुजरते हैं, तो हमारी सदस्यता विनियमों के अनुसार निलंबित/समाप्त की जा सकती है।

(टी) सदस्य के प्रबंधन में किसी भी कॉर्पोरेट परिवर्तन की स्थिति में, बैंक को ऐसी जानकारी, डेटा और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा जो आवश्यक समझा जा सकता है और सदस्य इन्हें बैंक को प्रदान करेगा और इस संबंध में सभी आवश्यक सहयोग भी करेगा।

(यू) हम, एनडीएस-ओएम के माध्यम से अन्य सदस्यों के साथ किए गए सभी लेनदेन के संबंध में खुद को उत्तरदायी मानने और वर्तमान में आईडीआरबीटी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए सहमत हैं।

(वी) हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एसजीएल हस्तांतरण फॉर्म द्वारा हमारे द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन सदस्य पर बाध्यकारी होगा। सदस्य बाद में किसी भी कारण से लेनदेन को अस्वीकार नहीं करेगा और बैंक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मों पर कार्रवाई कर सकता है और बिना किसी जोखिम और जिम्मेदारी के लेनदेन कर सकता है।

(डबल्यू) हम सहमत हैं कि यह निपटान के लिए एनडीएस-ओएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टेड ट्रेडों पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक को हुई किसी भी संभावित हानि/क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

(एक्स) बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हम एतद्द्वारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और सदस्य द्वारा एनडीएस-ओएम के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठाते समय बैंक को हुई किसी भी हानि/क्षति और सदस्य या किसी कर्मचारी, एजेंट, सेवक या सदस्य के प्रतिनिधि की ओर से किसी भी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

(वाई) हम सहमत हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए एनडीएस-ओएम सुविधाओं का उपयोग करने के लिए देयताएं, जैसे बोलियां, नीलामियों में इसे प्रस्तुत करना और उसके परिणाम, कोट्स देना, प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में लेन-देन, सौदा टिकट बनाना और डीलरों और सेटलर्स द्वारा अनुमोदन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म में बैंक द्वारा निपटाए गए लेनदेन में प्रवेश करना पूरी तरह से हम पर निर्भर करेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम इस वचन पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं और एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की शर्तों को पूरी तरह से समझते हैं।

(ज़ेड) हमारे और बैंक/किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचन की व्याख्या, अर्थ या प्रभाव के बारे में या सदस्य/बैंक के अधिकारों और दायित्वों के बारे में या किसी अन्य मामले के रूप में कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7. हम यह भी वचन देते हैं कि हम ऐसे सभी विलेखों, वचनों, क्षतिपूर्ति और/या बॉण्डों को निष्पादित, हस्ताक्षरित और अभिदत्त करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक को वे सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे जिनकी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग और आवश्यकता हो सकती है।

8. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि उपर्युक्त में से कोई भी कथन झूठा, गलत, गलत प्रस्तुतीकरण पाया जाता है या यदि किसी वचन या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें हमारी एनडीएस-ओएम सदस्यता को समाप्त करना भी शामिल है।

9. हम एतद्द्वारा यह भी वचन देते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों में किसी भी परिवर्तन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके घटित होने/हमारी जानकारी में आने के 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, सूचित करेंगे।

10. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि एनडीएस-ओएम सदस्यता (पृष्ठ 1 पर दर्शाए गए व्यवसाय खंड की) की मांग करने वाला यह आवेदन पत्र, इस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अपेक्षित आंतरिक अनुमोदन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और उस पर ट्रेजरी प्रमुख / हमारे संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो इस तरह का अनुरोध करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

<u>अनुबंध – 2</u>

आरबीआई के एनडीएस-ओएम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों की पहुँच हेतु स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के आवेदन पत्र का प्रारूप। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निष्पादन से पहले स्टाम्प ड्यूटी के साथ फ्रेंक किया जाए।

(लागू राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार मुहर लगाई जाए)

मुख्य महाप्रबंधक,
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई – 400 001

महोदया/प्रिय महोदय,

नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा के लिए अनुरोध

हम एतद्द्वारा ऑर्डर मैचिंग और रिपोर्ट किए गए सेगमेंट, दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की अनुमति चाहते हैं।

2. अपेक्षित विवरण, जैसा कि अपेक्षित है, निम्नानुसार हैं:

ए. स्टॉक ब्रोकर का नाम	
बी. सेबी पंजीकरण सं.	
सी. निपटान व्यवस्था सीसीआईएल के क्लियरिंग सदस्य का नाम, जिसके साथ स्टॉक ब्रोकर के घटकों/ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन के निपटान के लिए समझौता है।	

डी. प्रमुख पदाधिकारियों का संपर्क विवरण - परिचालन और आईटी		
	परिचालन प्रमुख	**आईटी प्रमुख / सिस्टम-इन-चार्ज**
नाम		
पदनाम		
डाक पता		
टेलीफोन नंबर		
मोबाइल नंबर		
टेलीफ़ैक्स नंबर		
ई-मेल आईडी		

क्या INFINET कनेक्शन लिया गया है (हाँ/नहीं)?	

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस आवेदन प्रपत्र के अनुमोदन के बाद प्रयोक्ता अनुरोध टेम्पलेट भेजा जाएगा।
4. हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम अपने व्यावसायिक परिसर में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना अपनी लागत पर स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-ओएम की कनेक्टिविटी और सुचारू संचालन को सुगम बनाया जा सके।
5. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के किसी भी भाग को अन्यत्र स्थानांतरित/शिफ्ट/अंतरण/प्रतिलिपि/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम अपनी लागत पर उपरोक्त उपकरणों को संशोधित, उन्नत या बदलने का वचन देते हैं, जब भी ऐसा करने की सूचना दी जाती है। हम यह भी वचन देते हैं कि हम आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना साफ्टवेयर/हार्डवेयर में कोई संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन नहीं करेंगे;
6. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि –
(ए) हम सक्रिय सेबी-पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर हैं;
(बी) सभी विनियामकीय आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है और गैर-अनुपालन के लिए विनियामकों से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है;
(सी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है;
(डी) हम पर किसी भी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अयोग्यता के आदेश या इसी तरह के प्रभाव के आदेश नहीं लगाए गए हैं और न ही हमें सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में किसी भी लेनदेन से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
(ई) एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा के लिए यह अनुरोध करने से पहले हमारे आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है;
(एफ़) हमने एनडीएस-ओएम से संबंधित "मार्गदर्शक सिद्धांतों" को पढ़ा और समझा है। हम एनडीएस-ओएम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और समय-समय पर यथासंशोधित और लागू ऐसे सभी नियम, विनियम, सिद्धांत, नियम और शर्तें हम पर बाध्यकारी होंगी; हम हर समय सीसीआईएल के समय-समय पर यथासंशोधित परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे;
(जी) हम एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की अनुमति प्रदान करते समय हमें आवंटित संबंधित एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या को आरबीआई को हमारे सभी पत्राचार में शामिल करेंगे;
(एच) भारतीय रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी तरह से हमारे एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और/या एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या के अनधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;
(आई) एनडीएस-ओएम, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में हमें या हमारे किसी भी पदाधिकारी को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा;
(जे) हम जानते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों द्वारा एनडीएस-ओएम पर ट्रेडों सुविधा दे सकते हैं और हम अपने घटकों/ग्राहकों द्वारा एनडीएस-ओएम में दर्ज किए गए ऑर्डर हेतु एनडीएस-ओएम पर निष्पादित सभी ट्रेडों के लिए उत्तरदायी होंगे;
(के) जहां तक संघटक ऑर्डर/ट्रेड का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित अनुपालनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(एल) हमारे संगठन में स्पष्ट और व्यापक पहुँच नियंत्रण नीतियां, प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं और इन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है और इसके सख्त अनुपालन के लिए इसकी लगातार निगरानी की जा रही है;

(एम) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों)/संस्था/संस्थाओं को निम्नलिखित की अनुमति नहीं देंगे –

I. आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना;

II. आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन के अलावा किसी अन्य उपकरण पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना

III. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना, उसमें परिवर्तन करना, संशोधित करना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को उपलब्ध कराना

IV. आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी भी अन्य तरीके से सॉफ्टवेयर का उपयोग करना

V. अनधिकृत स्थान से वर्कस्टेशन स्थापित या संचालित करना

(एन) कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होंगे और इसके किसी भी अनधिकृत उपयोग को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

(ओ) हम सहमत हैं कि बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, सदस्यों के उन ऑर्डर/ट्रेडों से संबंधित ऐसी जानकारी को सरकार, अन्य एजेंसियां और प्रेस और मीडिया से साझा करने/प्रकट करने या प्रसारित करने का बैंक के पास पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से निपटाए या अस्वीकृत या समाशोधित और निपटाए गए हैं और एनडीएस-ओएम पर ट्रेड या रिपोर्ट की गई सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी लिखतों से संबंधित हैं।

(पी) स्टॉक ब्रोकर के कार्यालय परिसर में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बैंक को स्टॉक ब्रोकर के एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले सभी कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा।

(क्यू) बैंक, एनडीएस-ओएम पर पहुँच के लिए स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की निरंतरता की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है, यदि बैंक की राय में किसी ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटना की संभावना है जहां स्टॉक ब्रोकर ने बैंक के हितों को प्रत्यक्ष या किसी अन्य तरीके से प्रभावित किया है या प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और स्टॉक ब्रोकर पर बाध्यकारी होगा।

(आर) हम सहमत हैं कि यदि हम किसी भी समामेलन, विलगाव (डिमर्जर) या किसी उपक्रम के अधिग्रहण सहित किसी कॉर्पोरेट पुनर्गठन से गुजरते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा विनियमों के अनुसार निलंबित/समाप्त की जा सकती है।

(एस) स्टॉक ब्रोकर के प्रबंधन में किसी भी कॉर्पोरेट परिवर्तन की स्थिति में, बैंक को ऐसी जानकारी, डेटा और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा जो आवश्यक समझा जा सकता है और स्टॉक ब्रोकर इन्हें बैंक को प्रदान करेगा और इस संबंध में सभी आवश्यक सहयोग भी करेगा।

(टी) हम, वर्तमान में आईडीआरबीटी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए या इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी आवश्यकता के लिए सहमत हैं।

(यू) हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का उपयोग करते हुए हमारे घटक/ग्राहक द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन हम पर बाध्यकारी होगा। स्टॉक ब्रोकर बाद में किसी भी

कारण से लेनदेन को अस्वीकार नहीं करेगा और बैंक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मों पर कार्रवाई कर सकता है और बिना किसी जोखिम और जिम्मेदारी के लेनदेन कर सकता है।

(वी) हम सहमत हैं कि यह निपटान के लिए एनडीएस-ओएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टेड ट्रेडों पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक को हुई किसी भी संभावित हानि/क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

(डबल्यू) बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हम एतद्द्वारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का लाभ उठाते समय बैंक को हुई किसी भी हानि/क्षति और स्टॉक ब्रोकर या किसी कर्मचारी, एजेंट, सेवक या स्टॉक ब्रोकर के प्रतिनिधि की ओर से किसी भी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

(एक्स) हम सहमत हैं कि अपने घटकों/ग्राहकों को प्रतिभूतियों में उनके लेनदेन के लिए एनडीएस-ओएम सुविधाएं प्रदान करने के लिए दायित्व पूरी तरह हम पर रहेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम इस वचन पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं और स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का उपयोग करने की शर्तों को पूरी तरह से समझते हैं।

(वाई) हमारे और बैंक/किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचन की व्याख्या, अर्थ या प्रभाव के बारे में या स्टॉक ब्रोकर या बैंक के अधिकारों और दायित्वों के बारे में या किसी अन्य मामले के रूप में कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7. हम यह भी वचन देते हैं कि हम ऐसे सभी विलेखों, वचनों, क्षतिपूर्ति और/या बॉण्डों को निष्पादित, हस्ताक्षरित और अभिदत्त करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक को वे सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे जिनकी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग और आवश्यकता हो सकती है।

8. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि उपर्युक्त में से कोई भी कथन झूठा, गलत, गलत प्रस्तुतीकरण पाया जाता है या यदि किसी वचन या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें हमारी स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा को समाप्त करना भी शामिल है।

9. हम एतद्द्वारा यह भी वचन देते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों में किसी भी परिवर्तन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके घटित होने/हमारी जानकारी में आने के 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, सूचित करेंगे।

10. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा (पृष्ठ 1 पर दर्शाए गए व्यवसाय खंड की) की मांग करने वाला यह आवेदन पत्र, इस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अपेक्षित आंतरिक अनुमोदन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और उस पर हमारे संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो इस तरह का अनुरोध करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम: